THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD., NEW DELHI
(Industrial Relation)

STC/CO/PER/IR/02005(Vol-II)/2006 19.02.2021

CIRCULAR No: IR/03/2021

Subject: **Preventive measures to contain the spread of COVID 19**

Pursuant to MHA's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 27.01.2021 dated and in line with DOPT OM No: 11013/9/2014-Estt.A.III dated 13.02.2021 on the captioned subject, it has been decided as under:

i) All the employees (Managers & Staff) shall attend office on all working days without any exemption to any category of employees.

ii) The employees shall follow staggered timings to avoid overcrowding in offices/workplace as under:

1st shift: 09.30AM to 05.30PM
2ne Shift: 10.00AM to 6.00PM

iii) All employees residing in the containment zone shall be exempted from coming to office till the Containment Zone is de-notified. These employees who are residing in the Containment Zone shall work from home and shall be available on telephone and electronic means on communications at all times.

iv) Biometric attendance shall continue to be suspended until further orders.

v) To ensure strict compliance of instructions issued by MHA, Ministry of Health & Family welfare, on regular santization/cleaning of workplaces, maintenance of social distancing norms, wearing of masks and health & hygiene practices etc.

2. The above instructions shall be in force with immediate effect until further orders.

3. This issues with the approval of Competent Authority.

(S.K. Meena) 19/4
Joint General Manager (Personnel)

By E-mail:

- *Exe. Secy. to CMD*
- *Exe. Secys. to Directors/CVO*
- *All CGMs/GMs*
- *Divisional Heads, CO*
- *All Branch Managers*

Copy to:

- *DGM(F)(A&E), CO*
- *Notice Board*
- *Website*

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं/02005 (खंड-II)/ 2006 19.02.2021

परिपत्र सं. औ.सं. / 03 / 2021

विषय: **कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए निवारक उपाय।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-I(क) दिनांक 27.01.2021 और इसी विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग(डीओपीटी) के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-स्थपना.क.III दिनांक 13.02.2021 के अनुसरण में, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

i) कर्मचारियों के किसी भी वर्ग को छूट के बिना सभी कर्मचारी (प्रबंधक और स्टॉफ), सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

ii) कार्यालय/कार्य-स्थल पर भीड़-भाड़ से बचने के लिए कर्मचारी निम्नानुसार समयावधियों का अनुसरण करेंगे :-

पहली शिफ्ट : पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक

दूसरी शिफ्ट : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक

iii) कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को कंटेनमेंट क्षेत्र के डि-नोटिफाई होने तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। वह कर्मचारी जो कंटेनमेंट क्षेत्र में रहते हैं, घर से कार्य करेंगे और उन्हे दूरभाष और संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यम पर हमेशा उपलब्ध रहना होगा।

iv) बायोमेट्रिक उपस्थिति का निलंबन अगले आदेशों तक जारी रहेगा।

v) कार्यस्थल का निरंतर किटाणूशोधन/सफाई, सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों, मास्क पहनना और स्वास्थ्य और स्वच्छ व्यवहार, इत्यादि पर गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

---2/-

2. उपर्युक्त दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(एस.के. मीणा) 19/5/4
संयुक्त महाप्रबंधक(कार्मिक)

<u>ईमेल द्वारा :</u>

- *अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के कार्यकारी सचिव*
- *निदेशकगण/मुख्य सर्तकता अधिकारी के कार्यकारी सचिव*
- *सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक*
- *मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष*
- *सभी शाखा प्रबंधक*

<u>प्रतिलिपि :</u>

- *उप महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय*
- *नोटिस बोर्ड*